अव्यवस्था | प्रीमियम कोच बनते जा रहे जनरल क्लास

अनाधिकृत यात्रियों को रोकने में नाकाम जिम्मेदार

एसी कोच में चढ़ने का प्रयास करते यात्री हावड़ा मेल

दस मिनट के बाद मुख्य स्टेशन से निकली गाड़ी

संघमित्रा एक्सप्रेस में अनाधिकृत रूप से चढ़ते यात्री

जबलपुर, नवभारत। रेलवे के स्पष्ट नियमों के बावजूद पश्चिम मध्य रेलवे में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वेटिंग और स्लीपर टिकट वाले यात्री धड़ल्ले से एसी कोचों में सफर कर रहे हैं, जिससे आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। रेलवे बोर्ड के अनुसार वेटिंग या स्लीपर टिकट पर एसी कोच में प्रवेश वर्जित है, लेकिन इटारसी से मानिकपुर के बीच चलने वाली महानगरी एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल और संघमित्रा एक्सप्रेस में स्थिति इसके विपरीत है। जनरल और स्लीपर टिकट लेकर चलने वाले यात्री, विशेषकर मंथली सीजन टिकट धारक, जनरल डिब्बों के बजाय सीधे एसी कोच में घुस जाते हैं। इससे प्रीमियम श्रेणी के डिब्बे भी जनरल कोच की तरह नज़र आने लगे हैं।

नहीं होती सघन चेकिंग

आरोप है कि ट्रेनों में चलने वाला टीटीई उड़नदस्ता यात्रियों को अनाधिकृत प्रवेश से रोकने के बजाय केवल अपना मंथली जुर्माना टारगेट पूरा करने में लगा है। यदि मदन महल, भेड़ाघाट या शहपुरा, भिटौनी जैसे स्टेशनों पर अचानक सघन चेकिंग की जाए, तो इस समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है। हालांकि, वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने न जाने क्यों ऐसे बड़े चेकिंग अभियानों पर फिलहाल रोक लगा रखी है।

इनका कहना है

अनाधिकृत रूप से अगर प्रीमियम डिब्बों में प्रवेश किया जा रहा है तो इसपर कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जाता है।

हर्षित श्रीवास्तव
सीपीआरओ, पमरे

घूमखोर पंडत मामले में परिवादी के बयान दर्ज

निर्माता-निर्देशक नीरज पांडे व नेटफ्लिक्स सहित अन्य को नोटिस

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पंकज सविता की अदालत ने फिल्म घूसखोर पंडत के विवादित शीर्षक के मामले में परिवादी जबलपुर निवासी वैभव पाठक के बयान दर्ज किए। साथ ही निर्माता-निर्देशक नीरज पांडे, ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स के विदेश में निवासरत शीर्ष अधिकारियों रीड हेस्टिंग्स, अध्यक्ष, नेटफ्लिक्स (यूएसए), टेड सरंदास, सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेटफ्लिक्स (यूएसए), बेला बजरिया मुख्य सामग्री अधिकारी, नेटफ्लिक्स (यूएसए) सहित नेटफ्लिक्स की भारतीय वितरक मोनिका शेरगिल के विरुद्ध नोटिस जारी किए हैं।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, पंकज तिवारी, प्रशांत सिरमोलिया, विनीत टेहेनगुरिया, रीतेश शर्मा, शुभम पाटकर व अरविंद सिंह चौहान ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म का शीर्षक परिवर्तित किया जा रहा है, किंतु उस शीर्षक के व्यापक प्रचार-प्रसार से समाज के एक बड़े वर्ग ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को जो क्षति पहुंची है, वह अपरिवर्तनीय है और उसके लिए अभियुक्तों को विधि सम्मत उत्तरदायी होना होगा। यह आपराधिक अवमानना का परिवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंडित शब्द भारतीय संस्कृति में विद्या, वैदुष्य और धार्मिक पवित्रता का पर्याय है। इसी शब्द के लोकभाषा प्रचलन पंडत को जानबूझकर घूसखोर जैसे कलंकपूर्ण विशेषण से जोड़ना सम्पूर्ण ब्राह्मण समुदाय की सामाजिक अस्मिता पर आघात है। यह केवल किसी काल्पनिक पात्र का चरित्र.चित्रण नहीं, वरन एक पूरे वर्ग को बदनाम करने का सुनियोजित प्रयास है। यह केवल एक फिल्म के शीर्षक का मामला नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक गरिमा का प्रश्न है। जिस पंडित शब्द को पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसी विभूतियों ने अपने व्यक्तित्व से गौरवान्वित किया, उसे घूसखोर की संज्ञा देना भारतीय संस्कृति और उसकी परंपराओं का अपमान है।

रिकवरी आदेश पर रोक, अनावेदकों से जवाब तलब

मप्र हाईकोर्ट ने सुनवाई का मौका दिए बिना रिकवरी का आदेश निकालने को अनुचित बताते हुए उस पर रोक लगा दी। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, एपीएस विश्वविद्यालय रीवा के रजिस्ट्रार, यूजीसी व अन्य को नोटिस जारी कर पेश करने के निर्देश दिये है। रीवा निवासी राकेश कुमार कटारे की ओर से अजय रायजादा एवं अंजना श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1993 में लेक्चार के रूप में हुई थी। बाद में एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी गई। इस दौरान वेतनमान भी बढ़ाया गया। दलील दी गई कि विश्वविद्यालय ने 17 अक्टूबर 2025 को बिना कोई पूर्व सूचना के रिकवरी का आदेश जारी कर दिया। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों से जवाब तलब किया है।

घर से नहाने निकले युवक की नहर में डूबने से मौत

नवभारत, जबलपुर। चरगवाँ थाना अंतर्गत सेमरा निवासी एक की नहर में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक सुबह घर से नहर में नहाने और कपड़े धोने निकला था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया लेकिन उसका देर शाम तक सुराग नहीं लगा अंधेरा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। आज पुन: युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सेमरा निवासी नीतेश मेहरा (28) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बड़ा भाई सचिन मेहरा (30 वर्ष) सोमवार सुबह करीब 9 बजे मोटरसाइकिल से गांव के पास बरखेड़ा स्थित नहर पर नहाने गया

था। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटा, तो दोपहर करीब 12 बजे छोटा भाई नीतेश उसे तलाशते हुए नहर पर पहुँचा।

नहर की सीढ़ियों के पास मिले कपड़े और एटीएम

नहर की सीढ़ियों के पास मेढ़ पर सचिन के कपड़े और एटीएम कार्ड रखा हुआ मिला, वहीं पास ही उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। आसपास तलाश करने पर जब सचिन का पता नहीं चला, तो परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से खोजबीन शुरू की। पूछताछ के दौरान रास्ते में मिले श्याम लाल भूमिया ने बताया कि जब वह नहर से नहाकर लौट रहा था, तब उसने सचिन मेहरा और कमलेश ठाकुर को वहां नहाते हुए देखा था।

गुमशुदगी दर्ज आज चलेगा रेस्क्यू

परिजनों को आशंका है कि सचिन नहाते समय गहरे पानी में जाने के कारण नहर में डूब गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चरगवाँ पुलिस ने गुम इंसान का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में युवक की तलाश की करइा रही है लेकिन उसका सुराग नहीं लगा आज पुन: उसकी तलाश कराई जायेगी।

3 संभागों में 11 बकायादारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई

नल कनेक्शन भी काटे गए

नवभारत,जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा संभागवार एवं वार्डवार बकाया करों की वसूली के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं। राजस्व विभाग की टीम द्वारा जिन करदाताओं को बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाया करों की राशि जमा नहीं की जा रही है, उन सभी करदाताओं के विरूद्ध कुर्की, तालाबंदी एवं नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है।

सोमवार को 3 संभागों में 11 बकायादारों के विरुद्ध कुर्की, तालाबंदी, नल कनेक्शन काटने

की कार्रवाई की गई। कुर्क सम्पत्तियों को अवधि के बाद वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नीलाम करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

इन बकायादारों पर गिरी गाज

संभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम की राजस्व टीम ने संभाग स्तरीय सदस्यों के सहयोग से संभाग क्रमांक 2 कछपुरा के मदन महल वार्ड अंतर्गत सैयद माजिद अली पर 1 लाख 99 हजार 8 सौ 6 रूपये बकाया होने पर दुकान में तालाबंदी की , राजू रजक/प्रेमलाल रजक पर 84 हजार 51, तेजिंदर पाल सिंह पर 60 हजार 1 सौ 96, एवं श्रीराम प्रकाश शर्मा पर 33 हजार 23 रूपये बकाया होने पर कुर्की एवं नल काटने की कार्रवाई की गयी।

इसी प्रकार संभाग क्रमांक 8 भानतलैया के शीतलामाई वार्ड अंतर्गत राम दुलारे पर 55 हजार 89 रूपये, बाबूलाला कोरी पर 46 हजार 2 सौ 69 रूपये, आशीष, अशोक कुमार पर 71 हजार 8 सौ 15, मोतीलाल पर 79 हजार 9 सौ 3 रूपये, एवं राजेश कुमार पर 79 हजार 4 सौ 82 रूपये बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की गयी, वहीं भगवती संदीप, सुदीप पिता रामेश्वर प्रसाद पर 1 लाख 17 हजार 1 सौ 49 रूपये बकाया होने पर मौके पर 25 हजार रूपये का चैक प्राप्त किया। वहीं संभाग क्रमांक 14 विजय नगर में मोतीलाल वार्ड 38 के अंतर्गत रोशन आरा का. इशरत अली पिता मकसूद अली पता - 1203 चार खम्बा के पास बकाया 2 लाख 4 हजार 3 सौ 14 रूपये होने पर कुर्की की कार्यवाही की गई।

अचानक मंडराए बादल, चली हवाएं, बरसे बदरा

मौसम का बदला मिजाज, घुली ठंडक

नवभारत, जबलपुर। सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से धूप खिली रही। दिन चढ़ने के बाद मौसम ने रंगत बदली। सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल शुरू हुआ। इसके बाद बादलों ने डेरा डाल लिया तेज हवाएं चली और बदरा बरस पड़े । रिमझिम बारिश हुई । थोड़ी देर हुई बारिश से मौसम खुशनुमान हो गया। वातावरण में ठंड भी घुल गई। दक्षिण-

पूर्व हवाएं चार किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। मौसम विभाग ने चौबीस घंटे में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। सोमवार को अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा । न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 77 और शाम को 56 प्रतिशत दर्ज की गई।

मौसम विभाग की माने तो दक्षिण-पश्चिम एवं संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब क्षेत्र सोमवार को भी उसी क्षेत्र में अवस्थित है। इससे संबंधित चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान लगभग उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ने और धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। एक टफ माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊँचाई पर उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर गुजरात तक विस्तृत है। एक अन्य ट्रफ माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊँचाई पर दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से मराठवाड़ा तक विस्तृत है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊँचाई पर लगभग 185 किमी प्रति घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है।

मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 1 लाख

जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक के मोबाइल को हैक कर जालसाज ने 1 लाख रुपये उड़ा लिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तुलसीनगर मानेगांव निवासी 37 वर्षीय दिनेश चंद्र मीना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन को हैक कर लिया और छल-पूर्वक उनके बैंक खाते से 1 लाख रुपये पार कर दिए।पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

रिमांड में अफगानियों से पूछताछ, बेनकाब हो सकते हैं नए चेहरे

फर्जी भारतीय पासपोर्ट का मामला

नवभारत, जबलपुर। फर्जी भारतीय पासपोर्ट से जुड़े मामले में एटीएस ने पांच और अफगानियों को गिरफ्तार करने के साथ 25 फरवरी तक रिमांड में लिया है। आरोपियों से सघन पूछताछ की जा रही है जिसमें नए राज खुलने के साथ फर्जीवाड़े से जुड़े नए चेहरे भी बेनकाब हो सकते है। इसके साथ ही जब्त दस्तावेजों की छानबीन चल रही है। जाली दस्तावेज बनाने में और कितने लोग शामिल है और इस फर्जीवाड़े में किन-किन की भूमिका रही समेत अन्य बिन्दुओं पर जांच पड़ताल जारी है। अब तक की जांच में कई एटीएस की रडार में आ चुके है। दस्तावेज बनवाने से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन करवाने और पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट हासिल करवाने के एवज में धन राशि लेने वाले भी चिन्हित

किए जा रहे है।

विदित हो कि एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाकर अवैध रूप से जबलपुर में रह रहे घुसपैठियों पर 31 जुलाई 2025 में एक्शन लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया था। दस साल से जबलपुर में रहे अफगानियों को पकड़ा गया था जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाकर अवैध रूप से रहे थे। अफगानी नागरिक सोहबत खान पिता बदरुद्दीन खान को गिरफ्तार किया था। जांच में एटीएस को 20 अफगानी युवकों की जानकारी मिली थी। इसके बाद एटीएस ने अफगानी नागरिक मोहम्मद अकबर 53 वर्षीय, इकबाल पिता असलम खान 27 वर्ष समेत मददगार चंदन सिंह ठाकुर पिता अमर सिंह ठाकुर निवासी शंकर शाह नगर रामपुर छापर समेत दिनेश गर्ग पिता श्रवण कुमार गर्ग, 40 वर्ष विजय नगर, महेंद्र कुमार निवासी कटंगा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था । वन विभाग के वनारक्षक और कलेक्ट्रेट में चुनाव सेल कार्य कर रहे दिनेश गर्ग और फर्जी अधिवक्ता चंदन सिंह की जाली दस्तावेजों को बनवाने से लेकर पाटसपोर्ट बनवाने में अहम भूमिका थी। मामले की जांच पड़ताल के बाद एटीएस ने जांच का दायरा बढ़ाया जिसके बाद कोलकाता में दबिश देकर जाली पासपोर्ट बनवाने वाले रजा खान, सुल्तान, जिया उल रहमान, सैयद मोहम्मद, जफर खान को गिरफ्तार शहर लाया गया है। जिन्हें 25 फरवरी तक रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है।

शहपुरा के क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक

अधिकारियों को दिये समुचित यातायात व्यवस्था करने निर्देश

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने शहपुरा के पास नेशनल हाईवे पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहपुरा में कैथरा रेलवे फाटक और अंधमूक बाईपास पर लाइट, ब्रेकर, रेलिंग और ब्लिंकर्स लगाकर समुचित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वाहनों के आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए पाटन होते हुए मार्ग डायवर्ट किया गया।अधिकारियों को वैकल्पिक

मार्ग तत्काल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। शहपुरा बाईपास तिराहा में ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए भी प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

रविवार शाम भरभराकर गिर गया था पुल

उल्लेखनीय है कि शहपुरा बाईपास पर अमन ढाबा के सामने बने ओवरब्रिज का दूसरा हिस्सा रविवार शाम अचानक भरभराकर गिर गया। इससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और दोनों तरफ से आवागमन प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार पुल का दूसरा हिस्सा पहले से ही क्षतिग्रस्त था और सुधार कार्य चल रहे थे। हालांकि पुल का एक हिस्सा चालू था, लेकिन वह भी गिर जाने से हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी।

भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय

ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यातायात को प्रतिबंधित कर डायवर्ट कर दिया है। डायवर्जन प्वाइंट पर फ्लोरोसेंट दिशासूचक बोर्ड और सूचना फ्लेक्स लगाए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग की स्पष्ट जानकारी मिल सके। ट्रैफिक व्यवस्था के तहत जबलपुर से भोपाल की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अंधमुख बायपास और पाटन बायपास मार्ग से भेजा जा रहा है। वहीं भोपाल से जबलपुर आने वाले भारी वाहनों को पाटन मार्ग की ओर मोड़ा गया है। हल्के वाहनों के लिए भी आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। डायवर्जन स्थल और ओवरब्रिज के आसपास एनएचआई, यातायात सिपाही, वॉलंटियर और पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

नाईस कैफे में महिला से गैंगरेप

दरिंदगी की एफआईआर दर्ज

विश्वासघात : प्रेमी, कैफे मालिक, कर्मचारी बने आरोपी

नवभारत जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत अमखेरा स्थित नाईस कैफे में एक महिला के साथ हैवानियत-दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला के साथ विश्वासघात उसके प्रेमी ने किया ।आरोपित उसे कैफे में ले गया जहां कैफे मालिक, कर्मचारी की मदद से गैंगरेप किया गया । मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंगरेप समेत अन्य धाराओं के तह प्रकरण दर्ज कर लिया है । अधारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमार कुमरे ने बताया कि हनुमानताल पंचकुई निवासी 25 वर्षीय महिला शादीशुदा है और पति से अलग रहती है।बीते 6 माह पूर्व क्षेत्र में रहने वाले जुनैद ने उसे प्रेम जाल में फंसाया इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। जुनैद महिला को शादी का झांसा देता रहा। 17 फरवरी

को जुनैद उसे बहला-फुसलाकर अमखेरा स्थित नाईस कैफे ले गया था वहां कैफे के मालिक दीपक चौधरी और कर्मचारी सुमित सेन की मिलीभगत और सहयोग से जुनैद ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता घर पहुंची और आपबीती सुनाई। जिसके बाद मामला रविवार को थाने पहुंचा। पुलिस ने सोमवार को गैंगरेप समेत अन्य धाराओं के तहत मुख्य आरोपी जुनैद, कैफे संचालक दीपक चौधरी और वर्कर सुमित सेन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी की मदद करने वाले कैफे मालिक और उसके कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुख्य आरोपी जुनैद फरार है जिसकी तलाश जारी है ।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57